(447)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण

III/निगरानी/मुरैना/भू.रा.2017/2842

1. पूरन सिंह पुत्र जनक सिंह
2. प्रताप सिंह पुत्र जनक सिंह

निवासीगण ग्राम–कसमड़ा

तहसील–पोरसा जिला–मुरैना

S.K. Vajpai Adv
23/8/2017

23.8.17

विरूद्ध

1. मानेन्द्र
2. सतेन्द्र
3. हरेन्द्र तीनो पुत्रगण चिरोंजी सिंह
4. म.चन्दादेवी पत्नी चिरोंजी सिंह

निवासीगण ग्राम–कसमड़ा

तहसील–पोरसा जिला–मुरैना

अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला–मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 47/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 18/08/2017 के पुनरीक्षण हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश अवैध, मनमाना एवं न्याय प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अनावेदको द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील नितांत समयवाधित थी विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने के लिये आवेदको को समय दिया गया एवं दिनांक 19/07/2017 नियत की गयी उक्त दिनांक को आवेदको के अभिभाषक के सगे भाई दुर्घटना ग्रस्त होकर गंभीर रूप से घायल हो गये थे इस कारण अभिभाषक महोदय अपने भाई को लेकर ग्वालियर चले गये एवं अनुपस्थित हो गये जिसमें आवेदकगण का कोई दोष नहीं था।

3. यह कि, दिनांक 19/07/2017 को आवेदकण के अभिभाषक की अनुपस्थिति में विलम्ब को क्षमा करने का एकपक्षीय आदेश दिया गया था जिसे निरस्त करने के लिये दिये गये आवेदन को अस्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/2842

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	